

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज F.S.S.Act Case No. 38/2025	नम्बर व तारिख अहकाम जो म हुक्म की तामिलमें जारी हुए
19-8-2025	<p>पत्रावली पेश हुई। श्री धर्मवीर, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरौही अनुपस्थित। प्रतिवादी अभियुक्त संख्या 1 (एक) रोहित चौधरी पुत्र श्री लच्छाराम चौधरी, विक्रेता, मैसर्स चौधरी दूध डेयरी, हनुमान मन्दिर के पास, मानपुर, आबूरोड़, जिला- सिरौही, स्थाई पता: शिव मन्दिर के पास, मानपुर, आबूरोड़, जिला- सिरौही एवं प्रतिवादी अभियुक्त संख्या 2 (दो) श्री लच्छाराम चौधरी पुत्र श्री पूराराम चौधरी, खाद्य कारोबारकर्ता एवं प्रोपराईटर, मैसर्स चौधरी दूध डेयरी, हनुमान मन्दिर के पास, मानपुर, आबूरोड़, जिला- सिरौही, स्थाई पता: शिव मन्दिर के पास, मानपुर, आबूरोड़, जिला-सिरौही अनुपस्थित।</p> <p>आवेदक श्री धर्मवीर, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा यह न्याय निर्णयन आवेदन प्रतिवादीगण के विरुद्ध आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री मुकेश प्रजापत द्वारा दिनांक 08-3-2025 को मैसर्स चौधरी दूध डेयरी, हनुमान मन्दिर के पास, मानपुर, आबूरोड़, जिला- सिरौही में प्रतिवादी विक्रेता रोहित चौधरी पुत्र श्री लच्छाराम चौधरी से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच कीमतन क्रय किये गये खाद्य पदार्थ पनीर का नमूना संख्या S-2596, खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की जांच रिपोर्ट क्रमांक:L.S./124/Act/2025/71 दिनांक 19-3-2025 में अमानक (sub-standard) पाया जाने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) व धारा 51 के तहत प्रतिवादी अभियुक्तगण के विरुद्ध प्रस्तुत कर प्रतिवादी अभियुक्तगण पर जुर्माना आरोपित करने का अनुरोध किया गया है। प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी अभियुक्तगण को विधिवत नोटिस जारी कर तामिल करवाये गये। जिस पर प्रकरण में नियत सुनवाई तिथि 12-8-2025 को प्रतिवादी संख्या 2 (लच्छाराम चौधरी) ने इस न्यायालय में उपस्थित होकर जुर्म स्वीकारोक्ति का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रकरण के निस्तारण का अनुरोध किया। जबकि प्रतिवादी संख्या 1 (रोहित चौधरी पुत्र श्री लच्छाराम चौधरी) को नोटिस की तामिल होने के बावजूद भी उपस्थित नहीं हुआ। प्रतिवादी लच्छाराम चौधरी द्वारा जुर्म स्वीकार कर लिया जाने से दिनांक 12-8-2025 को ही प्रतिवादी लच्छाराम चौधरी को सुना गया, जिन्होंने अनुरोध किया कि मेरी फर्म मैसर्स चौधरी दूध डेयरी, हनुमान मन्दिर के पास, मानपुर, आबूरोड़ में स्थित है। दिनांक 08-3-2025 को मेरी उक्त फर्म से खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा पनीर का सेम्पल लिया था जो जांच में अमानक पाया गया है उस समय मेरी फर्म में मेरा पुत्र रोहित चौधरी विक्रेता के रूप में कार्य कर रहा था। यह मेरा प्रथम अपराध है। अतः प्रकरण का आज ही निस्तारण करावे।</p> <p>हमने सुनी गई बहस पर मनन किया एवं न्यायालय पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि दिनांक 08-3-2025 को समय 2-05 पी. एम. पर आवेदक श्री धर्मवीर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, खाद्य पदार्थों के निरीक्षण हेतु फर्म मैसर्स चौधरी दूध डेयरी, हनुमान मन्दिर के पास, मानपुर, आबूरोड़, जिला- सिरौही पर गये। वहां पर विक्रेता की हैसियत से प्रतिवादी रोहित चौधरी पुत्र श्री लच्छाराम चौधरी उपस्थित मिले। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री धर्मवीर द्वारा मैसर्स चौधरी दूध डेयरी, हनुमान मन्दिर के पास,</p> <p style="text-align: right;">.....लगातार</p>	



व.सि. जिला सिरौही  
सिरौही-307001.

तारिख  
हो

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज  
F.S.S.Act Case No. 38/2025

नम्बर व  
तारिख  
अहकाम जो  
इस हुकम की  
तामिलमें  
जारी हुए

मानपुर, आबूरोड़ का निरीक्षण करने पर उक्त फर्म मैसर्स चौधरी दूध डेयरी की दुकान के अन्दर एक डीप फ्रीज में लगभग 4 (चार) किलोग्राम खाद्य पदार्थ पनीर को एक भिगोनें में आम जन के विक्रय हेतु रखा हुआ पाया, जिसमें मिलावट का शक होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत खाद्य पदार्थ पनीर को वास्ते नमूना जांच क्रय करने की सूचना प्रतिवादी विक्रेता रोहित चौधरी को गवाह श्री मुकेश प्रजापत, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के समक्ष प्रपत्र 5ए में भरकर दी व रसीद प्राप्त की। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री धर्मवीर ने मैसर्स चौधरी दूध डेयरी, हनुमान मन्दिर के पास, मानपुर, आबूरोड़ में आमजन को विक्रय करने हेतु डीप फ्रीज में रखे हुए लगभग 4 किलोग्राम खाद्य पदार्थ पनीर में से 01 (एक) किलोग्राम पनीर को एक साफ, सूखे व खाली स्टील के भिगोनें में खरीदा एवं उसकी कीमत राशि रुपये 400/- (अक्षरे रुपये चार सौ मात्र) प्रतिवादी विक्रेता रोहित चौधरी पुत्र श्री लच्छाराम चौधरी को नकद अदा कर खरीद रसीद बिल प्राप्त किया। जिस पर प्रतिवादी विक्रेता रोहित चौधरी, उक्त गवाह एवं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री धर्मवीर के हस्ताक्षर किये हुए है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री धर्मवीर ने उक्त खरीदशुदा 01 (एक) किलोग्राम पनीर को प्रतिवादी विक्रेता रोहित चौधरी पुत्र श्री लच्छाराम चौधरी एवं उक्त गवाह के समक्ष चार साफ, सूखी व खाली डिब्बों में बराबर-बराबर मात्रा में भरा एवं उक्त चारों डिब्बों में फार्मलीन की 20-20 बूंदे डालकर इन चारों डिब्बों को ढक्कन लगाकर एयरटाइट बन्द किया गया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री धर्मवीर ने लेबल तैयार कर लेबलों पर अभिहित अधिकारी (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही) के कोड एवं क्रमांक S-2596, दिनांक, स्थान, खाद्य पदार्थ पनीर आदि अंकित कर उस पर प्रतिवादी विक्रेता रोहित चौधरी पुत्र श्री लच्छाराम चौधरी एवं उक्त गवाह के हस्ताक्षर कराये एवं स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री धर्मवीर ने हस्ताक्षर किये। श्री धर्मवीर, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा पनीर के उक्त चारों नमूना डिब्बों पर एक-एक लेबल गोंद से चिपकाया तथा प्रत्येक नमूना भाग पर अभिहित अधिकारी के हस्ताक्षर युक्त पेपर रिलिफ कोड एवं क्रम संख्या S-2596 उपर से लेकर नीचे तक गोंद से चिपकाई। तत्पश्चात् प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपड़ी किया गया एवं प्रत्येक नमूना भाग पर प्रतिवादी विक्रेता रोहित चौधरी पुत्र श्री लच्छाराम चौधरी व उक्त गवाह के हस्ताक्षर कराये व श्री धर्मवीर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी स्वयं ने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात् चारों नमूना भागों को आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री धर्मवीर ने अपने कब्जे/जाप्ते में लिया तथा मौका रिपोर्ट तैयार की, जिस पर प्रतिवादी विक्रेता रोहित चौधरी पुत्र श्री लच्छाराम व उक्त गवाह तथा श्री धर्मवीर, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर है। तत्पश्चात् आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री धर्मवीर ने कार्यालय में पहुँचकर फार्म नम्बर VI की प्रतियां तैयार की व उस पर नमूनें को सील करते समय काम में ली गई सील की छाप अंकित की। नमूना के चारों भागों के साथ फार्म नम्बर VI की एक-एक प्रति लगाकर चारों नमूना भागों को आउटर कवर में बंद किया व नियमानुसार सील चपड़ी किया तथा फार्म नम्बर VI की दो-दो प्रतियां दो लिफाफों में अलग-अलग बन्द कर गोंद से चिपकाकर लिफाफों को सील चपड़ी किया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री धर्मवीर ने दिनांक 10-3-2023 को नमूनें का एक भाग व फार्म नम्बर 6 का एक सील बन्द लिफाफा, श्री बाबुलाल मीणा, .....लगातार

श्री. विना चिकित्सा  
सिरोही-387001

तारिख हुक्म	<b>हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज</b> <b>F.S.S.Act Case No. 38/2025</b>	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामिलमें जारी हुए
	<p>कार्मिक, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के द्वारा खाद्य विश्लेषक, जोधपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की एवं दिनांक 08-3-2023 को ही शेष तीन नमूना भाग व फार्म नम्बर 6 का सील बन्द लिफाफा अभिहित अधिकारी (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही) को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की। इस प्रकार, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री धर्मवीर द्वारा मैसर्स चौधरी दूध डेयरी, हनुमान मन्दिर के पास, मानपुर, आबूरोड़, जिला- सिरोही में प्रतिवादी विक्रेता रोहित चौधरी पुत्र श्री लच्छाराम चौधरी से खाद्य पदार्थ पनीर को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच क्रय करने की कार्यवाही विधिवत की गई है। प्रकरण में खाद्य विश्लेषक, जोधपुर से खाद्य पदार्थ पनीर के नमूना संख्या S-2596 की प्राप्त रिपोर्ट क्रमांक:L.S./124/Act/2025/71 दिनांक 19-3-2025 में खाद्य पदार्थ पनीर का नमूना अमानक (Sub-standard) पाया गया है। पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि मैसर्स चौधरी दूध डेयरी, हनुमान मन्दिर के पास, मानपुर, आबूरोड़ के प्रोपराईटर श्री लच्छाराम चौधरी (प्रतिवादी संख्या 2) है एवं प्रतिवादी संख्या 2 (लच्छाराम चौधरी) की प्रोपराईटरी फर्म मैसर्स चौधरी दूध डेयरी, हनुमान मन्दिर के पास, मानपुर, आबूरोड़ में दिनांक 08-3-2025 को आम जनता को विक्रय करने हेतु एक डीप फ्रिज में रखा हुआ लगभग 4 किलोग्राम पनीर का नमूना, खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की उक्त विश्लेषण जांच रिपोर्ट दिनांक 19-3-2025 में निर्धारित मानको के अनुरूप नहीं होकर अमानक (Sub-standard) पाया गया है। इस प्रकार, प्रकरण में यह स्पष्ट है कि प्रतिवादी संख्या 2 (लच्छाराम चौधरी) की प्रोपराईटरी फर्म मैसर्स चौधरी दूध डेयरी, हनुमान मन्दिर के पास, मानपुर, आबूरोड़ में प्रतिवादी विक्रेता रोहित चौधरी पुत्र श्री लच्छाराम चौधरी द्वारा अमानक (Sub-standard) खाद्य पदार्थ पनीर का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा- 2(ii) का उल्लंघन किया है, जो उक्त अधिनियम की धारा 51 के तहत शास्ति (Penalty) योग्य अपराध है।</p> <p style="text-align: center;"><b>आदेश</b></p> <p>अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 51 के तहत अमानक (sub-standard) खाद्य पदार्थ पनीर (नमूना संख्या S-2596) के विक्रय हेतु प्रतिवादी लच्छाराम चौधरी, खाद्य कारोबारकर्ता एवं प्रोपराईटर, मैसर्स चौधरी दूध डेयरी, हनुमान मन्दिर के पास, मानपुर, आबूरोड़, जिला- सिरोही पर राशि रुपये 40,000/- (अक्षरे रुपये चालीस हजार मात्र) की शास्ति (Penalty) अधिरोपित की जाती है। साथ ही, प्रतिवादी लच्छाराम चौधरी, खाद्य कारोबारकर्ता एवं प्रोपराईटर, मैसर्स चौधरी दूध डेयरी, हनुमान मन्दिर के पास, मानपुर, आबूरोड़, को आदेशित किया जाता है कि वह उक्त जुर्माना राशि का राष्ट्रीयकृत बैंक से न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के पक्ष में Crossed Demand Draft जिसका भुगतान सिरोही शहर में प्राप्त किया जा सके बनवाकर न्याय निर्णय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के कार्यालय में 15 दिन के भीतर जमा करवाये। पत्रावली इसी मुताबिक फ़ैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। निर्णय सुनाया गया। निर्णय की प्रति संबंधित खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं प्रतिवादी को प्रेषित की जावे। मिसल वास्ते जमा होने जुर्माना राशि डी.डी. आयन्दा दिनांक 26-9-2025 को पेश हो।</p>	

(डॉ. दिनेश राय सापेला)

पब्लिक प्रोसेक्यूट  
सिरोही-307001.

